

प्रश्न,

प्रकाश चन्द्र सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

श्री अंबीक गांगुली,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेन्टर,
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक-15/12/09

विषय:- अंकुर पब्लिक स्कूल निराला नगर, दीघा, पटना-11 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गते करने के संबंध में ।

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-3-4-2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा की गई तथा अंकुर पब्लिक स्कूल इन्द्रपुरी, पटना को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुमति की गयी है । समिति की अनुमति के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् है:-

1. यह विद्यालय प्रगतिशील समाज एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के अधीन संचालित है । इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है । सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा सपथ पत्र भी दिया गया है ।

2. विद्यालय ने किसी निर्बंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेंचाईजी अथवा किसी विद्यालय के ग्रेड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है ।

3. विद्यालय को दो एकड़ भूमि उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुस्यू है ।

4. विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसमें यह स्पष्ट हो कि नियुक्ति में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पारदर्शिता बरती गई हो । विद्यालय में 12 शिक्षक हैं । सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के अनुस्यू है ।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है ।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्कों, वार्षिक लेखा अक्षय तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है । विद्यालय अपने आश्वासन के अनुसम कार्रवाई करे जो सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा ।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-3-4-2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तों स्वीकार है । अपेक्षित शर्तों के अनुसार -

||| विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पडीस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निशुल्क किया जायेगा तथा उनसे द्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा । ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग कालिकाएँ तथा समान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय अधिकतम 60,000/-समाप्त प्रतिसर्ष होमें ।

|||| विद्यालय में नर्सरी/के०जी०अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार बच्चों एवं माता/पिता सहित नहीं लिया जायेगा । अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो छुग तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा ।

||||| नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी ।

|||V|| जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी ।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकाारियों के द्वारा किया गया है, फिरभी सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो में कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

9. साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है । स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा झाका उल्लेख को प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा । शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी ।

10. विभागीय पत्रांक-46 दिनांक-18-01-2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक ढांड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा ।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय बुला रहेगा ।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शक्तों के आधार पर अंकुर पब्लिक स्कूल, निराला नगर, दीघा, पटना-11 को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति दी जाती है ।

अनु०- जिहा शिक्षा पदाधिकारी, पटना
का जांच प्रतिवेदन संलग्न ।

विश्वासभाजन,

EO/-

। प्रकाश चन्द्र सिंह ।
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापक- 1121

/ पटना, दिनांक- 15/12/09

प्रतिलिपि- जिहा शिक्षा पदाधिकारी, पटना को उनके पत्रांक-1480
दिनांक-23-7-08 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित ।


EO/-

। प्रकाश चन्द्र सिंह ।
सरकार के संयुक्त सचिव ।


ज्ञापक- 1121

पटना, दिनांक- 15/12/09

प्रतिलिपि- प्रधानाचार्य, अंकुर पब्लिक स्कूल, निराला नगर, दीघा, पटना-11
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधि प्रेषित ।



। प्रकाश चन्द्र सिंह ।
सरकार के संयुक्त सचिव ।



Sarajay Kumar
— Manager —
ANKUR PUBLIC SCHOOL

Bunod K. Singh
PRINCIPAL
ANKUR PUBLIC SCHOOL
NIRALA NAGAR, DIGHA, PATNA-1
AFFILIATION No -330324